अनुशिक्षण (Coaching) संस्थानों को अनुशासित करने हेतु आयोग द्वारा प्रस्तावित सुझाव/दिशा–निर्देश

उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 10 मई 2011 को उत्तराखण्ड शासन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना सं0 – 1092/XVII(4)/2011/10 देहरादून, के द्वारा किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों का गठन बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 धारा 17 में प्रावधानित किया गया है। उक्त अधिनियम में आयोग को बालको के अधिकारो से संबंधित सभी विभागों पर निगरानी करने की शक्ति प्रदत्त कि गई है।

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों को उनके अधिकारों का संरक्षण, करने एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने में निरन्तर प्रयासरत रहा है। इसी प्रक्रिया में विगत कुछ वर्षों से ऐसे मामले सामने आए है जिसमें यह देखा गया है कि बच्चों के माता–पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अक्सर चिंतित रहते है। इसी क्रम में वह बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। इसके लिए वह उन्हे विभिन्न अनुशिक्षण (coaching) संस्थानों में भेजते है किन्तु अनुशिक्षण संस्थान अपनी मनमानी शुल्क की मांग करते है। केवल यही नही जिन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का विवरण संस्थानों द्वारा उनके वैबसाइट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रोस्पेक्टस एंव ब्रोशर में किया जाता है। वह वास्तव में बच्चों को उपलब्ध नही करवाई जाती है

अतः इन प्रकरणों पर गहनता से विचार करते हुए आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा की, अनुशिक्षण संस्थान भी अन्य व्यापार की तरह प्रदेश में पांव पसार रहे है। आयोग अनुशिक्षण संस्थानों पर कुछ नियम एवं विनियम लागू करने की अनुशंसा इस आशय से प्रस्तुत कर रहा है कि प्रदेश में अनुशिक्षण संस्थान को अनुशासित किया जा सके। आयोग द्वारा निम्न सुझाव दिए जा रहे हैः–

- **आधारभूत संरचना** (Infrastructer) संस्थान के पास कार्यालय के कार्यों के लिए कितने कक्ष/स्थान उपलब्ध है। अनिवार्य रुप से न्यूनतम कितने कक्ष होने चाहिए। तथा किन–किन विषयों में अनुशिक्षण कराया जाएगा यह स्पष्ट होना चाहिए।

  - संस्थान में बच्चों को पढ़ाए जाने वाले कक्ष में पर्याप्त वायु–संचालन (cross ventilation) की सुविधा उपलब्ध है या नही।
  - कैम्पस के अन्दर शिक्षक, बच्चे एवं कर्मचारी के लिए स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है या नही।
  - लड़कियों के शौचालय में sanitary pad dispenser/menstrual hygiene की व्यवस्था हो तथा बालक एवं बालिका शोचालय अलग–अलग हो।
  - बच्चों के बैठने की व्यवस्था एंव बच्चों की संख्या तथा कक्ष के आकार के अनुरूप हो।
  - एन0डी0ए0/आर्मी की शिक्षा देने वाले संस्थानो के लिए बच्चों की संख्या तथा प्रशिक्षण के अनुरूप मैदान (ग्राउण्ड) होना अनिवार्य होना चाहिए।
  - संस्थान में छात्रों की संख्या के अनुरूप सुप्रबन्धित पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाए ताकि सभी छात्र पुस्तकालय का उपयोग कर सके।
  - रोशनी एवं पंखे की सुविधा उपलब्ध हो।

- **संकाय** (Faculty)

- बच्चो को पढाने हेतु प्रत्येक विषय के लिए सुयोग्य शिक्षक शैक्षिक योग्यता के अनुरूप नियुक्त हो।
- एक विषय हेतु एक ही प्रशिक्षित विशेषज्ञ शिक्षक होना अनिवार्य हो।
- प्रत्येक विषय में छात्रों की संख्या के अनुरूप ही शिक्षकों की संख्या निर्धारित हो।

- संस्थान में प्रशिक्षित एवं योग्य काउसंलर की व्यवस्था हो विशेष रूप से बालिकाओं के लिए महिला काउसंलर तथा बालकों के लिए पुरूष काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए।

- एक विषय का एक ही प्रशिक्षित शिक्षक होना अनिवार्य हो।

- **शुल्क व्यवस्था–** बच्चे से लिए जाने वाले शुल्क का पूर्ण विवरण तथा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाली सारी सुविधाओं का पूर्ण विवरण भी website/social network पर भी उपलब्ध किया जाना चाहिए।

  - अनुशिक्षण संस्थान द्वारा लिए गए शुल्क में अप्रतिदेय (non refundable) वर्ग में केवल उतना ही शुल्क होगा जितने की सेवा का लाभ शिक्षार्थी ले रहा है। एवं शुल्क मासिक रुप से , त्रेमासिक या छमाही अथवा पूरे पाठयक्रम की एकमुश्त राशि अभिभावक की क्षमता के अनुरूप ली जानी चाहिए।

- यदि किसी छात्र द्वारा शुल्क धनराशि एकमुस्त जमा की जाती है और किसी कारण वंश छात्र संस्थान में अध्ययन नही करना चाहता ऐसी स्थिति में शुल्क वापसी के लिए मानक निगरानी विभाग द्वारा निर्धारित किए जाये।

- **बेवसाइट व अध्ययन सामाग्री, ब्रोसर्स पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग का दूरभाष न0,सी0डब्लू0सी0 (Cwc)**, चाइल्ड लाईन,पुलिस हेल्पलाइन,जिला प्रशासन के सम्पर्क नम्बर अंकित होने चाहिए।

- **सुरक्षा व्यवस्थाः–**

- मुख्य द्वार पर रखवाली के लिए/आगुन्तकों का हिसाब–किताब रखने के लिए **रिटायर्ड आर्मी व्यक्ति को गार्ड के रूप में नियुक्ति।**

- **पर्याप्त सी0सी0टीवी0 केमरे संस्थान की आवश्यकता अनुसार।**

- **अग्निशामक यत्र की व्यवस्था**

- **दिव्याग वच्चों के लिए लिप्ट की व्यवस्था**

- **प्रत्येक बच्चे का फोटो पहचान पत्र तथा उनके माता पिता की फोटो**

- **कोचिग संस्थान के संचालक तथा समस्त स्टाफ का नाम सहित विवरण डिसप्ले बोर्ड पर अंकित किया जाना चाहिए। साथ ही डिसप्ले बोर्ड पर जिला प्रशासन, पुलिस,चाइल्ड हेल्प लाईन,बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सम्पर्क न0 भी चस्पा होना चाहिए।**

- **यदि संस्थान आवासीय है और परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने का उल्लेख किया गय है तो वाहनों का विवरण चस्पा करेंगे तथा बेवसाइट में भी अपलोड करेगे।**

- **उचित पार्किग व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए**

- **कोचिग संचालन का समय निर्धारित होना चाहिए क्योंकि प्रायः देखने में आता है कि कोचिग संस्थान रात्रि 9:00 बजे तक भी कक्षाओं का संचालन करते है जिससे बालिकाओं तथा बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है।**

- अग्निशामक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संस्थान के आस–पास कोई हाई टेंशन तार तो नही गुजर रही या उसके समीप तो नही, इस ध्यान रखा जाना चाहिए।

- आवासीय कोचिग संस्थानों में बालिकाओं के लिए महिला वार्डन की व्यवस्था तथा बालकों के लिए पुरूष वार्डन की व्यवस्था हो।

- बच्चों के रहने के लिए कक्ष में एक अलमारी और एक बेड़ की प्रत्येक बच्चें के लिए व्यवस्था हो। एक कक्ष में चार बच्चों से अधिक बच्चों की व्यवस्था नही की जानी चाहिए। सिगल बेड कक्ष,02 बेड कक्ष 03 बेड कक्ष तथा अन्य बेड सबधी सुविधाए होनी चाहिए ताकि अभिभावक अपनी क्षमता एवं इच्छा के अनुरूप बच्चे को संस्थान में सुविधा दिला सके।

- **प्रशासन–.** सभी अनुशिक्षण संस्थान का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण), जिलाधिकारी/शिक्षा विभाग में शिक्षा के उद्देश्य से अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिए।

- जिससे की संस्थान में विसंगतियों, खामियां, त्रुटि पाए जाने पर उन पर नियंत्रण किया जा सके एवं कार्यवाही सुचारु रुप से की जा सके।

- आयोग ने पाया कि इस तरह के शिक्षण संस्थान जी0एस0टी0आई0एन0 नं0 (commercial purpose) रजिस्ट्रेशन पर चलाया जा रहा है। जबकि संस्थानों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के दावे किये जाते है। अतः अनुशिक्षण संस्थान के ऊपर राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी एवं शिक्षा विभाग की निगरानी में राज्य सरकार द्वारा एन0ओ0सी0 (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रदान किये जाने के बाद ही संचालित किया जाना चाहिए।

- अनुशिक्षण संस्थान के पंजीकरण (registeration) की अनुमति तब प्रदान की जाए, जब वह संस्थान संचालन के सभी मापदण्डों को पूर्ण करता हो,

- अनुशिक्षण के लिए प्रत्येक दिवस पर कितने बैच चलाए जाएंगे।

- प्रत्येक बैच की पूर्ण कालावधि कितने दिवस/सप्ताह/माह की रखी जाएगी।

- बैच को किन–किन विषयों पर शिक्षा प्रदान की जाएगी।

- छात्र–शिक्षक अनुपात का विवरण का अनुपात।

- **दण्ड का प्रावधानः–** यदि कोचिग संस्थान सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाईन/दिशा निर्देशों का पालन नही करते है तो उनके लिए उचित धाराओं में दण्ड का प्रावधान तय किया जाना चाहिए।

- देखने में यह भी आया है कि संस्थानों में बच्चे, कर्मचारी व प्रवेश से पूर्व जांच पड़ताल करने के लिए अभिभावक/आगन्तुक अपने वाहन से आते रहते है किन्तु संस्थानों द्वारा इन वाहनों को कोई सुरक्षित एवं पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं करवाई जाती है जिस कारण वह वाहन सड़क पर जगह घेरते है अथवा यातायात भी बाधित होता है। इसलिए संस्थानों के लिए यह भी आवश्यक है कि वह संस्थान की संख्या के अनुसार पर्याप्त क्षमता की पार्किंग की सुविधा भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

- **अन्यः–**

- अनुशिक्षण संस्थान अक्सर CBSE/ICSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त का प्रचार कर बोर्ड परीक्षा में appear होने वाले बच्चों को प्रवेश देते हैं किन्तु उनकी संस्थानो द्वारा किसी बोर्ड से मान्यता नही ली जाती है। उसके स्थान पर अलग–अलग विद्यालयों से अनुबंध कर, संस्थान में ही अध्ययन कर छल किया जाता है। अनुशिक्षण संस्थान यदि इस प्रकार का प्रचार करता है तो उसको स्वयं बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर अध्ययन कराने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
- सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था
- अवकाश सबधी नियम।
- कोचिग संस्थान प्रचार–प्रसार के लिए मुख्य मार्गो पर बडे वडे होडिग लगाकर लिखते है कि सरकारी या निजि संस्थानो में नौकरी तथा इजिनियरिग या चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश परीक्षा में पास की गारण्टी है ऐसे शब्दो का उपयोग पर प्रतिबध हो।
- छात्रों के चयन की प्रक्रिया।
- कक्षा संचालन का समय निधारण।
- गाइड लाईन की प्रति सभी छात्रों को निशुल्क उपलब्ध कराई जाए।